



2026:AHC:33378

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट-ए संख्या 2277 सन् 2026

रवि कुमार एवं 10 अन्य

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : अर्चना सिंह, ब्रह्म नारायण सिंह

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री बी० एन० सिंह राठौर और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर० एस० उमराव को सुना।

2. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ और समान स्थिति वाले अधिकारियों का स्थानांतरण पी०ए०सी० से सशस्त्र पुलिस में कर दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार नहीं किया गया है।

3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे का फैसला प्रथम दृष्टया प्रत्यर्था संख्या 3, पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाना है।

4. बार द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रत्यर्था संख्या 3 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, जिस पर प्रत्यर्था आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर विधि के अनुसार याचिकाकर्ताओं के दावे पर दृढ़तापूर्वक विचार करेगा।

16 फरवरी, 2026

एन० एस० राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"